मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर की अध्यक्षता में दिनांक 23–09–2022 को वित्तीय वर्ष 2022–23 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्था स्तर पर मास्टर डाटा सही ढंग से पूर्ण करने तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं संस्था स्तर से धीमी गति से छात्रों के आनलाइन आवेदन पत्रों के अग्रसारण/निराकरण हेतु आहूत बैठक का कार्यवृत्त

भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्यवर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण प्रतिवर्ष बजट की उपलब्धता की सीमा तक नियमावली में निर्धारित प्राविधानों व वरीयता के अनुसार किया जाता है। छात्रवृत्ति वितरण में आने वाली समस्याओं एवं संस्था स्तर से छात्रों के आनलाइन आवेदन पत्रों की धीमी गति से अग्रसारण/निराकरण हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त कल्याण सेक्टर के अधिकारियों, जिला विद्यालय निरीक्षक, विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत समस्त शिक्षण संस्थानों की जूम एप के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं विद्यालयों में नामित छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों/संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गयाः–

1. मास्टर डाटा में प्रत्येक शिक्षण संस्थान को वर्ष 2022–23 के लिए जारी समय–सारिणी में दी गई निर्धारित समयावधि में समस्त सूचनाओं (संस्थान का समस्त विवरण, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम का वर्षवार पूर्णांक (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर को जोड़कर पूर्णांक/प्राप्तांक एवं सक्षम स्तर से निर्धारित फीस) को अपडेट करते हुए नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक कराने सहित समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने, छात्रवृत्ति से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण एवं छात्रों के आनलाइन आवेदन पत्रों के धीमी गति से अग्रसारण के सम्बन्ध में यह बैठक आयोजित की गई है।
2. जनपद कानपुर नगर में दिनांक 23–09–2022 तक संस्था स्तर से अग्रसारित छात्रों के आनलाइन आवेदन पत्र का विवरण निम्नवत् अंकित हैः–

category	Class	Registrations	Form Entered	Temp. Lock	Final Submission	Recieve By Collage	Verify By Collage	Rejected By College	Fwd By Collage
OBC	Class 11-12	6245	7509	4451	3666	619	607	2	538
SC		3803	4635	2931	2441	333	317	3	245
General		2548	2774	1620	1315	212	205	3	182
Minority		991	1150	535	438	61	59	0	50
	Total	13587	16068	9537	7860	1225	1188	8	1015
OBC	PostMatric Institute	4915	4533	1312	733	733	5	0	3
SC		2581	2418	714	427	2	2	0	1
General		3020	2596	690	410	1	1	0	0
Minority		899	801	211	119	0	0	0	0
	Total	11415	10348	2927	1689	736	8	0	4
OBC	PreMatric Class 9-10	7952	8088	6730	5060	2278	1858	7	1742
SC		5980	6026	5085	3850	1663	1322	11	1233
General		2813	2681	2253	1655	660	547	4	519
Minority		1564	1543	1280	899	346	260	4	241
	Total	18309	18338	15348	11464	4947	3987	26	3735
	GrandTotal	43311	44754	27812	21013	6908	5183	34	4754

उपरोक्त से स्पष्ट है कि संस्थान स्तर से छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार समयबद्ध ढंग से कार्यवाही सम्पादित नहीं की जा रही है, जिससे छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारण हेतु लम्बित है। संस्थान निम्नवत् कार्यवाही अनिवार्य रूप से समयबद्ध ढंग से पूर्ण करते हुए छात्रों के आनलाइन आवेदन पत्र यथाशीघ्र अग्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे।

3. वित्तीय वर्ष 2022–23 में शैक्षणिक सत्र कक्षा 11–12 में 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक तथा अन्य उच्चतर कक्षाओं हेतु 01 जुलाई 2022 से प्रारम्भ होकर 30 जून 2023 तक के शिक्षण सत्र से है। तद्नुसार संस्थान में प्रवेशित छात्रों द्वारा निर्धारित समयावधि में छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन किया जायेगा। छात्र के संस्था में प्रवेश की तिथि में कूटरचना पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षण संस्थान की संलिप्तता मानते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
4. संस्थान द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022–23 का मास्टर डाटा भरने के लिए संस्थान को वर्ष 2021–22 में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतानित छात्रों के सम्मुख गत वर्ष की परीक्षा में भाग लेने तथा गत शैक्षणिक सत्र में संचालित कक्षाओं के सापेक्ष छात्र की उपस्थिति को अंकित करके लॉक किया जाना अनिवार्य है। इस विवरण को अंकित करने के उपरान्त ही मास्टर डाटा संस्थान द्वारा लॉक किया जा सकेगा।
5. सभी शिक्षण संस्थान अपने यहाँ अध्ययनरत छात्र का अनिवार्य रूप से आधार कार्ड बनवाना एवं नामांकन संख्या (प्रथम वर्ष को छोड़कर) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी आवेदन बिना आनलाइन आधार जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentcation) के (नवीनीकरण के छात्रों को छोड़कर) भरा नहीं जा सकेगा तथा आधार सीडेड व मैप्ड बैंक खाता होने पर ही धनराशि अंतरण कराया जायेगा।
6. छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन पत्र में राशन कार्ड संख्या/परिवार आई0डी0 का अंकन करने हेतु आप्शन दे दिया गया है।
7. अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों को 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि राज्य सरकार द्वारा एवं 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार द्वारा सीधे छात्रों के आधार सें लिंक बैंक खाते में अन्तरित किये जाने का प्राविधान किया गया है।
8. उ0प्र0 अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों को केन्द्रांश की 60 प्रतिशत धनराशि भुगतान किये जाने हेतु बैंक खाते को आधार नम्बर से एन0पी0सी0आई0 मैपर पर मैप कराये जाने की कार्यवाही अनिवार्य रूप से करा ली जाये।
9. बैंक खाते को आधार नम्बर से एन0पी0सी0आई0 मैपर पर मैप करायें जाने हेतु छात्र खाता संख्या, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर एवं सिग्नेचर को सम्बन्धित बैंक में जाकर जमा करे, जिसके पश्चात् बैंक कर्मचारी 06 अंकों का कोड इन्स्टीट्यूट आइडेंटीफिकेशन नम्बर देंगे, जिसके माध्यम से छात्र के आधार से लिंक खाते में सीधे धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
10. कक्षा 9–10 एवं 11–12 के लिए यू0डाइस (U-DISE) कोड तथा उच्च्य कक्षाओं के लिए आईस कोड (AISHE) होना आवश्यक होगा। सभी संस्थान तद्नुसार अपना सही कोड भरना सुनिश्चित करेंगे।
11. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकते है। अन्य प्रदेश के निवासी एवं जनपद में अध्ययनरत छात्रों से आवेदन पत्र नहीं भरवाये जायेंगे।
12. संस्था स्तर से आवेदन पत्र आनलाइन अग्रसारित करते समय पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति में दिये गये नियमों एवं प्रतिबन्धों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए सभी आप्शन्स को सही सही भरते हुए परीक्षण के उपरान्त ही आवेदन अग्रसारित करे। यदि किसी छात्र का डाटा शिक्षण संस्थान द्वारा गलत अग्रसारित किया जाता है तो शिक्षण संस्थान उत्तरदायी होगा।
13. हाईस्कूल रोल नम्बर/आय व जाति प्रमाण पत्र व आवेदन क्रमांक सही होने पर ही अग्रसारण, अनिवार्य शुल्क, बैंक खाता, आई0एफ0एस0कोड तथा ब्रान्च का नाम, पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम का पूर्णांक एवं विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी का सही अंकन संस्थानों/छात्रों द्वारा किया जाना आवश्यक है। सभी संस्थायें छात्रों को इस सम्बन्ध में सूचित करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे अपात्र छात्रों का डाटा संस्थान स्तर पर ही रिजेक्ट हो सके।

14. सभी शिक्षण संस्थानों में नोडल अधिकारी/प्रधानाचार्य तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों जो कि छात्रवृत्ति का डाटा ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से अग्रसारित करते है, उनके डिजिटल हस्ताक्षर को प्रथम बार जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होगा।

15. त्रुटिपूर्ण डाटा को संस्था स्तर से ही अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये ताकि छात्र त्रुटि सुधार करते हुए पुनः आनलाइन आवेदन कर सके। एन0आई0सी0 से डाटा लाक किये जाने के उपरान्त आनलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में किसी स्तर पर परिवर्तनीय नहीं होता है एवं त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध अंकित आनलाइन आवेदन पत्रों से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं है।

16. छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करने की रसीद अनिवार्य रूप से छात्र को उपलब्ध कराई जायेगी तथा आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर छात्र के हस्ताक्षर कराये जाये तथा अन्तिम पृष्ठ पर छात्र के हस्ताक्षर के साथ मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये।

17. छात्र का आवेदन पत्र स्वयं शिक्षण संस्थान द्वारा कदापि न भरा जाये। छात्र की सहायता के लिए प्रत्येक संस्थान में HELP DESK/Facilitation Centre अनिवार्य रूप से स्थापित किये जाये।

18. संस्था अपने यहाँ अध्ययनरत समस्त छात्रों को भली–भांति यह अवगत करा दें कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार (नियमित/स्ववित्त पोषित) सावधानी पूर्वक भरे।

19. सभी निजी शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम का प्रकार केवल स्ववित्त पोषित ही होगा।

20. छात्र उसी वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग) में आवेदन करेगा। गलत वर्ग के आवेदन पत्र को अग्रसारित करने पर संस्था की संलिप्तता मानते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी।

21. किसी भी संस्था को पाठ्यक्रम का एक वर्ष (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर पूर्ण करने के पूर्व) पूर्ण किये बगैर अगले वर्ष की कक्षा में आवेदन अग्रसारित नहीं करना है।

22. एक से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में यदि छात्र किसी भी वर्ष में पहली बार आनलाइन आवेदन पत्र भर रहा है तो उसे नये छात्र के रूप में नया आवेदन करना होगा, किन्तु पाठ्यक्रम में दूसरी बार छात्र द्वारा आवेदन का नवीनीकरण ही किया जाये।

23. निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमावली में वर्तमान नियम 5(XVII) के अनुसार किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्रबन्धकीय कोटा सीट, स्पाट (Spot) प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा दावा किये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता कक्षा–12 अर्थात इण्टरमीडियेट है, में न्यूनतम 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले, "किसी भी प्रवेश प्रक्रिया (मैनेजमेण्ट कोटा सीट/स्पाट प्रवेश सीट को छोड़कर) से प्रवेशित छात्र छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे, का प्राविधान किया गया है।

24. अनुसूचित वर्ग के छात्रों हेतु निःशुल्क प्रवेश की सुविधा के क्रम में नियम 12(i) के अनुसार योजना में अर्ह छात्रों को सम्बन्धित राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी, किन्तु निःशुल्क प्रवेश की अनुमन्य व्यवस्था बाध्यकारी नहीं होगी। वही निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

25. शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति आधार बेस उपस्थिति प्रणाली (भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर) को स्थापित करके प्रत्येक माह उपस्थिति प्रमाणित करने एवं यथास्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो ऐसे छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र

पृ. 47

नहीं होंगे तथा छात्र को यदि भुगतान हो गया है तो भुगतानित धनराशि [illegible] स्था को वापस करनी होगी।"

26. ऐसे छात्रों को छात्रृत्तियाँ दी जायेगी, जिन्होंने कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक पूर्व/स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यवसायिक या तकनीकी प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, बशर्ते कि वह अन्यथा इसकी पात्र हो। छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र का समी पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण/प्रोन्नत होना अनिवार्य है।

27. यदि कोई छात्र विगत वर्ष शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के उपरान्त पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा तथा गत वर्ष भुगतान की गई धनराशि संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त कर विभाग को वापस करनी होगी।

28. निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत (सामान्य वर्ग के लिए 55 प्रतिशत) होना आवश्यक है।

29. अनुसूचित जाति हेतु जारी छात्रवृत्ति नियमावली के बिन्दु सं0–6 अर्हता के नियम (xxii) में प्रख्यापित किया गया है कि " आई0टी0आई0 पाठ्यक्रम अथवा ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल अथवा कक्षा–8 निर्धारित है, के अन्तर्गत हाईस्कूल अथवा कक्षा–8 उत्तीर्ण करने के 06 वर्ष के अन्दर निजी क्षेत्र के संस्थानों में उक्त प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

30. संस्था स्तर पर गठित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से सम्बन्धित विवरण, नामित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर, संस्था के मान्यता की प्रमाणित प्रति, संचालित कोर्स, पाठ्यक्रम में सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क की दरों से सम्बन्धित प्रमाणित प्रति एवं कार्यालय/संस्थाध्यक्ष ई–मेल आई0डी0 कार्यालय में तीन दिन में अनिवार्य रूप से स0क0वि0 में उपलब्ध करा दी जाये।

31. एक व्यक्ति किसी एक ही संस्थान में संस्थाध्यक्ष/नामित नोडल अधिकारी का दायित्व निर्वहन करेगा

32. छात्रवृत्ति से सम्बन्धित समस्त सूचना यथा समय–सारणी इत्यादि का विवरण विभागीय वेबसाईट http://scholarship.up.nic.in/ पर उपलब्ध है।

33. कार्यालय से किसी भी संस्थान को पत्र की हार्डकापी प्राप्त नहीं कराई जायेगी। कार्यालय पत्र संस्थान द्वारा उपलब्ध ई–मेल आई0डी0 एवं ग्रुप पर दिये गये मोबाइल नम्बर पर उपलब्ध होगी। अतः संस्थान यह सुनिश्चित करें कि कार्यालय में संस्थान की अपरिवर्तनीय ई–मेल आई0डी0 एवं दूरमाष नम्बर नोट करा दे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

29-9-2022
जिला विद्यालय निरीक्षक
कानपुर नगर

29/09/2022
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
कानपुर नगर

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
कानपुर नगर

जिला समाज कल्याण अधिकारी
कानपुर नगर

मुख्य विकास अधिकारी
कानपुर नगर।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर

पत्रांक · सी 2203 / स0क0 / द0छात्रवृत्ति–बैठक / 2022–23 दिनांक 11-10-2022

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी कानपुर नगर ।
2. मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर ।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर ।
5. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर ।

(डा0 प्रज्ञा पाण्डेय)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
कानपुर नगर

24/04/2019

To
The Vice- Chairperson,
J.E.F., Kanpur.

Dear Madam,

As per the notification in the newspapers there will be some increase in the examination fee by the University (around Rs.800 to Rs.1000 per student).

In view of the above information, we are of the opinion that we can also increase the fee of our B.Com. course from Rs.10,000 to Rs.12,000 and of B.B.A. from 30,000 to 35,000 per annum.

add clause refundable at the end of 3 yrs

Fees of remaining courses B.A., B.C.A. and M.Com. will remain unchanged. Fees of B.Sc is Rs.12,000 + Rs.3,000 (caution money paid at the time of admission which is refundable). We suggest that we should not charge refundable caution money as the course is in its infancy and in order to secure good number of admissions a relaxation of fees at the time of admission may help us to achieve the desired goal. We can charge fine for the damage of Laboratory material and equipment then and there.

15% for economicaly weaker section

We offer 20% scholarship (Rebate in fee) to the all those students who score above 60% seeking admissions in B.A. classes and above 75% in B.Sc. classes. It is recommended that we should allow this scholarship on the financial ground for the candidates having family income less than two lacs.

Submitted for your kind persual.

M. P Gupta

(Dr.Asmita Dubey)
Asst. Director

(Dr.M.P. Gupta)
Director

O.K
R Gupta
1/05/19

SCHOLARSHIP FOR THE SESSION 2022-23 ONWARDS

[INTERNAL]
(Revised on 04 July 2023)

N	UNITS	CATEGORY	GENERAL STUDENT		JEF & TRUST EMPLOYEES'S WARDS	JAGRAN GROUP EMPLOYEES' WARDS	STUDENTS FROM THE SISTER CONCERN/ALL THE VERTICALS OF J.E.F	RTE/EWS	PHYSICALLY DISABLED	OUTSTANDING PERFORMANCE IN CO-CURRICULAR ACTIVITIES
1	PUBLIC SCHOOLS	% of Scholarship/ Concession/ Freeship Offered	NIL		50% and more Or as per approval of the Vice Chairperson and the Principal	50% *i.e lst two quarters (Tuition fee only)	• A policy for Criterion/ Condition may be introduced/ decided by the Management and Principal to the Alumni	50% - 100% (For RTE and EWS Ward)	NIL	* Shri Yogendra Mohan Gupta Award for Academic Excellence.
		Criterion/ Condition	NIL		Good Academic Performance & Active Participation in co-curricular activities.	Good Academic Performance & Active Participation in co-curricular activities.	. To be decided by the Principal & Management	As per EWS & RTE Act	NIL	Excellence/Topper in academies in aggregate of all scholastic subjects all classes.
2	JDC	% of Scholarship Offered	20%		40%	20%	NIL	Minimum 25% (May increase as per case)	50%	25% (Only for final year students based on past performance) *Decision of Principal is final
		Criterion/ Condition	BA-90% & Above in 10+2,		Minimum 60% marks in 10+2/ Graduation	Minimum 60% Marks 10+2/ Graduation	NIL	As per EWS & RTE Act	NIL	Outstanding performance in Literary, Sports, T
			B.Sc-75% & Above in 10+2,							
			M.Com-60% & Above in Graduation							
3	JIM	% of Scholarship offered	10%	15%	50%	50%	50%	Case to Case Basis	50%	25% *Decision of Director is final
		Criterion/ Condition	Who have Scored 60% - 74% in Graduation	Who have Scored 75% and above in Graduation	Minimum 60% marks in Graduation	Minimum 60% Marks in Graduation	Benefit to JDC Students & Minimum 60% Marks in Graduation	Minimum 50% Marks in Graduation	Minimum 50% Marks in Graduation	In last semester only on the basis of first 3 semester participation performance.
4	JIMMC	% of Scholarship Offered	50%-59% in Graduation	5%	50%	50%	Rs.10,000/- each yr BA Fee to JDC Students	Case to Case Basis	50%	25% (Only for final year students based on past performance) *Decision of Director is final
	or 3 Years Diploma In		60% to 75% in (10+2)	10%	Minimum 60% Marks in 10+2	Minimum 60% marks in 10+2		Minimum 50% in 10+2	Minimum 50% Marks in 10+2/	
			Above 75% in (10+2)	20%						
	For 1 Year PG Diploma Courses	Criterion/ Condition	50% in Graduation	15%	Minimum 60% Marks in Graduation	Minimum 60% in Graduation	Minimum 60% Marks in 10+2/Graduation	Minimum 50% in Graduation	Minimum 50% Marks in 10+2/ Graduation	Outstanding performance in Music, Dance, Literary, Sports, Theatre
			Above 60% in Graduation	20%						
5	JIDA	% of Scholarship offered	10%	15%	50%	50%	50%	Case to Case Basis	50%	25%(Only for final year students based on past performance) *Decision of Director is final
		Criterion/ Condition	Minimum 50% Marks in 10+2/ Graduation	Minimum 65% Marks in 10+2/ Graduation	Minimum 60% Marks in 10+2/ Graduation	Minimum 60% Marks in 10+2/ Graduation	Minimum 60% Marks in 10+2/Graduation	Minimum 50% Marks in 10+2/ Graduation	Minimum 50% Marks in 10+2/ Graduation	Outstanding performance in Music, Dance, Literary, Sports, Theatre

*Approval of Management is required.

05/07/2023 RGupta